FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण
केसाराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी रॉयराकंला खुर्द तह0 सोजत	1.	गणेशराम पुत्र मोटाराम
	2.	पन्नाराम पुत्र मोटाराम
	3.	मालाराम पुत्र मोटाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण रायराकंला खुर्द तहसील सोजत जिला पाली
	4.	तहसीलदार (भूमितधारक) सोजत

किस्म मुकद्दमा– राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 नबर. 72 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
16.10.20	वकील प्रार्थीगण उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थाना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/ नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 19.11.2020 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	634 2/11/20
19/11/20	वकुलाय उपस्थित। [illegible] अन्य राजकीय कार्यों [illegible] [illegible] 3/2/21 को पेश हो। [illegible] उप खण्ड अधिकारी एवं [illegible] [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible]	
03.02.2021	अधिवक्ता प्रार्थी उप0 । अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उप0 अप्रार्थीगण को जारी नोटिसेज बाद तामिल प्राप्त, सा0मि0 है। अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से ईकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, सामिल मिसल हो। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, सा0मि0हो।अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद सूचना /तामिल बार बार आवाजे दिलाने पर भी उपस्थित नही होने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रायराकंला खुर्द, पटवार हल्का खोडिया, भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र गुडाबींजा तहसील सोजत में भूमि खसरा नमबर 113, 50, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87 कुल किता 10 जिसका कुल रकवा 31.3400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य सह खातेदारान के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 के	

उप खण्ड अधिकारी

सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अनुसार गुणेशराम, केसाराम, मालाराम, पन्नाराम पिसरान मोटाराम 1/2 हिस्सा, बालुराम पुत्र उगमाराम 1/2 हिस्सा कौम कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज सुदा स्थित है। तथा उपरोक्त हिस्सेनुसार सभी खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 में दर्ज करते समय खातेदार गुणेशराम पुत्र केसाराम, मालाराम, पन्नाराम पिसरान मोटाराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि गुणेशराम व केसाराम दोनों सगे भाई है। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सेहवन से त्रुटिवश गुणेशराम पुत्र केसाराम अंकित कर दिया। उक्त त्रुटि होने के वजह से उक्त जमाबन्दी केबाद बनी चौसाला जमाबंदीयुं में गुणेशराम पुत्र केसाराम के नाम से दर्ज चली आ रही है, जो गलत दर्ज चली आ रही है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त कृषि भूमि में खातेदार के हिस्से दर्ज करते समय गणेशराम पुत्र केसाराम 1/6 हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा एवं मालाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है, जबकि मोटाराम जी के चार पुत्र गणेशराम, केसाराम मालाराम, पन्नाराम है। जिनका नाम जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2047 के अनुसार भलि भांति सावित है। मोटाराम जी का उक्त कृषि भूमि 1/2 हिस्सा होने से उनके पुत्र गणेशराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, केसाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा काननुन बनता है। राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन पटवारी हल्का के द्वारा त्रुटिवश गलत नाम दर्ज कर देने से उक्त हिस्सा भी गलत दर्ज हुआ है, जिन्हें दुरस्त किया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अन्य दस्तावेजात केसाराम पुत्र मोटाराम के नाम से ही बने हुए है, जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत ग्राम रायराकंला खुर्द, पटवार हल्का खोडिया, भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र गुडाबींजा तहसील सोजत की भूमि खसरा नम्बर 113, 50, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87 कुल किता 10 जिसका कुल रकबा 31.3400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में गणेशराम पुत्र केसाराम 1/6, हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा के स्थान पर गणेशराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, केसाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने ईकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया वांछित अनुतोष अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने पर कोई एतराज / आपति नही होना जाहिर किया है। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 से 3 संलग्न दस्तावेजात अनुसार स्वीकर है। बिन्दु संख्या 04 के कम में जमाबन्दी सम्वंत 2044–2047 व 2052 – 2055 में गणेशराम , केसाराम , मूलाराम, पन्नाराम पिता मोटाराम 1/2 दर्ज है। श्री गणेशराम पुत्र मोटाराम के वोटर आई0डी0 नम्बर जीएमएफ/1364173 व आधार संख्या 821280677468 के आधार पर गुणेशराम पुत्र केसाराम कि जगह गणेशराम, केसाराम मूलाराम , पन्नाराम पिता मोटाराम दर्ज किया जावे तो कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

बहस के दौरान भी अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थीत भूमि में जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055 दर्ज करते समय खातेदार गुणेशराम पुत्र केसाराम, मालाराम, पन्नाराम पिसरान मोटाराम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि गुणेशराम व केसाराम दोनों सगे भाई है। लेकिन तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सेहवन से त्रुटिवश गुणेशराम पुत्र केसाराम अंकित कर दिया। उक्त त्रूटि को दुरूस्त करते हुये गणेशराम पुत्र केसाराम 1/6, हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा के स्थान पर गणेशराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, केसाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

1/8 हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा के अनुसार राजरव रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की ईशतदुआ की है। जवाब वहस के दौरान तहसीलदार सोजत ने राजस्व रेकॉर्डनुसार शुद्धि किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ, फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों का अध्ययन कर वहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2047 में गुणेशराम, केशाराम मालाराम पन्नाराम पि0 मोटाराम 1/2 बालुराम पुत्र उमाराम 1/2 कौम कुम्हार सा0 कालव रायपुर खातेदार दर्ज सुदा है। इसके पश्चातवर्ती जमाबन्दी 2052 से 2055 में गुणेशराम पुत्र केसाराम, मालाराम पनाराम पि0 मोटाराम 1/2, बालूराम पुत्र उमाराम 1/2 कौम कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज सुदा है। जमाबन्दी सम्वत 2056 से 59 में भी गणेशराम पुत्र केसाराम मालाराम , पन्नाराम पि0 मोटाराम 1/2 बालूराम पुत्र उमाराम 1/2 सा0देह0 खातेदार दर्ज सुदा है जो निरन्तर पश्चार्ती जमाबन्दी चौसाला में उसी अनुरूप दर्ज होता रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि जमान्दी सम्वत 2044 से 2047 में दर्ज खातेदारो गुणेशराम, केशाराम मालाराम पन्नाराम पि0 मोटाराम 1/2 बालुराम पुत्र उमाराम 1/2 को जमाबन्दी सम्वत 2052 से 55 में गलत रूप से गणेशराम पुत्र केसाराम मालाराम , पन्नाराम पि0 मोटाराम 1/2 बालूराम पुत्र उमाराम 1/2 सा0देह0 खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे संशोधित करना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आ0 एक्ट 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा सरहद मौजा सरहद मौजा ग्राम रायराकंला खुर्द, पटवार हल्का खोडिया, भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र गुडाबींजा तहसील सोजत में स्थित भूमि खसरा नमबर 113, 50, 74, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87 कुल किता 10 जिसका कुल रकबा 31.3400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में दर्ज खातेदारों में गणेशराम पुत्र केसाराम 1/6, हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम 1/6 हिस्सा के स्थान पर गणेशराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, केसाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, मालाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा, पन्नाराम पुत्र मोटाराम का 1/8 हिस्सा के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दुरूस्त प्रविष्टि किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 03.02.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

Scanned with CamScanner